

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 1998 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 5 अगस्त, 1998 (श्रावण 14, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार :-

- (क) जीवाजीगंज (उज्जैन) जांच आयोग का प्रतिवेदन दिनांक 30 जून, 1994 द्वारा श्री सी.एस. गुप्ता, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, बैच इन्दौर, शासन के संकल्प सहित,
- (ख) भिलाई (दुर्ग) गोली छालन न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन दिनांक 9 मार्च, 1998 द्वारा श्री पी.सी. अग्रवाल, जिला न्यायाधीश (सतर्कता), जबलपुर प्रक्षेत्र, जबलपुर, शासन के संकल्प सहित, तथा
- (ग) चुरहट बाल कल्याण समिति एवं लॉटरी जांच आयोग का प्रतिवेदन दिनांक 8 मई, 1998 द्वारा जस्टिस श्री पी. भास्करन्, सेवा निवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, मद्रास, शासन के संकल्प सहित

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री हजारीलाल रघुवंशी, सहकारिता मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम मर्यादित का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री बालेन्दु शुक्ल, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार :-

- (क) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1995-96, तथा
- (ख) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का 26 वां वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 1 जुलाई, 1996 से 30 जून, 1997 तक

पटल पर रखेंगे.

(4) श्री नरेन्द्र कुमार नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल का 35 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 पटल पर रखेंगे.

3. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री परसराम धुर्वे, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्रीमती जून चौधरी, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का नवम्, दसवां तथा ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

4. खनिज साधन मंत्री का वक्तव्य

श्री बिसाहूलाल सिंह, खनिज साधन मंत्री, प्रदेश में हीराधारित चट्टानों की खोज, पूर्वेक्षण, उत्खनन एवं विक्रय हेतु मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के साथ संयुक्त प्रक्षेत्र कंपनी का गठन करने के उद्देश्य से आमंत्रित प्रस्तावों के संबंध में वक्तव्य देंगे.

5. मंत्रिमण्डल पर अविश्वास का प्रस्ताव

श्री विक्रम वर्मा, नेता प्रतिपक्ष, निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

" यह सदन मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में गठित मंत्रिमण्डल के प्रति अविश्वास प्रकट करता है."

भोपाल :
दिनांक : 4 अगस्त, 1998

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा